

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2009/डी-4662

दिनांक 4-11-09

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 144वीं बैठक दिनांक 30.10.2009 में लिये गये निर्णय का विवरण

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 144.1	कार्यकारी समिति की 143 वीं बैठक दिनांक 01.10.2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 143वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।		
2 144.2	भूखण्ड सं. 54, एकान्त विहार फार्म हाउस योजना के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड सं. 54, एकान्त विहार योजना को नियमितिकरण हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
3 144.3	जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर ग्राम दहमीकला में होटल योजना के भूखण्ड के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर ग्राम दहमीकला में होटल योजना के भूखण्ड का नियमितिकरण किया जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
4 144.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नं. 905, 1987/906, 906/1719, 1988/907 किता 4 रकबा 1.27 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (गंगा फेयरडील टाउनशिप डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नं. 905, 1987/906, 906/1719, 1988/907 किता 4 रकबा 1.27 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
5 144.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर में स्थित ख.नं. 308 रकबा 0.52 हैक्ट. 888 रकबा 0.33 हैक्ट. 889 रकबा 0.68 हैक्ट. 893 रकबा 0.74 हैक्ट. में से 0.44 हैक्ट., ख.नं. 888/1 रकबा 0.25 हैक्ट. किता 5 रकबा 2.22 हैक्ट. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री गंगाराम चौधरी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर में स्थित ख.नं. 308 रकबा 0.52 हैक्ट. 888 रकबा 0.33 हैक्ट. 889 रकबा 0.68 हैक्ट. 893 रकबा 0.74 हैक्ट. में से 0.44 हैक्ट., ख.नं. 888/1 रकबा 0.25 हैक्ट. किता 5 रकबा 2.22 हैक्ट. भूमि में से सड़क सीमा से प्रभावित 1399.04 वर्गमी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने के पश्चात् शेष 20810.10 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
6 144.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 881 रकबा 0.58 हैक्ट., ख.नं. 882 रकबा 0.70 हैक्ट., ख.नं. 930 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.नं. 931 रकबा 0.02 हैक्ट., ख.नं. 1886/880 रकबा 0.02 हैक्ट., ख.नं. 1888/932 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.नं. 896 रकबा 0.18 हैक्ट., ख.नं. 929 रकबा 0.62 हैक्ट., ख.नं. 1887/928 रकबा 0.17 हैक्ट. कुल किता 9 रकबा 2.38 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (महिमा रियल एस्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 881 रकबा 0.58 हैक्ट., ख.नं. 882 रकबा 0.70 हैक्ट., ख.नं. 930 रकबा 0.06 हैक्ट., ख.नं. 931 रकबा 0.02 हैक्ट., ख.नं. 1886/880 रकबा 0.02 हैक्ट., ख.नं. 1888/932 रकबा 0.03 हैक्ट., ख.नं. 896 रकबा 0.18 हैक्ट., ख.नं. 929 रकबा 0.62 हैक्ट., ख.नं. 1887/928 रकबा 0.17 हैक्ट. कुल किता 9 रकबा 2.38 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
7	144.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 193/1, 193/2, 193/3, 194/1 एवं 194/2 कुल किता 5 रकबा 0.92 हैक्ट. भूमि उपलब्ध 9195.98 वर्गमीटर का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री रामपाल अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, कपिल अग्रवाल व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 193/1, 193/2, 193/3, 194/1 एवं 194/2 कुल किता 5 रकबा 0.92 हैक्ट. भूमि उपलब्ध 9195.98 वर्गमीटर में से सड़क सीमा से प्रभावित 181.06 व.मी. भूमि निःशुल्क समर्पित करने एवं प्लान्टेशन कोरीडोर से प्रभावित 1308.18 वर्गमीटर भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष 7706.64 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
8	144.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 86 से 90, 91/2 रकबा 0.99 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्रीमती चन्द्रमणि गुप्ता पत्नि श्री संजय गुप्ता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 86 से 90, 91/2 रकबा 0.99 हैक्टयर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 1944.88 व.मी. तथा सैक्टर व्यावसायिक से प्रभावित 4064.15 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 3890.97 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
9	144.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम हरगुन की नागल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 594 रकबा 0.31 हैक्टयर अर्थात् 3100 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री मनोज कसल पुत्र श्री महेश चन्द कसल व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम हरगुन की नागल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 594 रकबा 0.31 हैक्टयर अर्थात् 3100 वर्गमीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 1250.22 व.मी. जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं प्लान्टेशन कोरीडोर में आ रही 1106.19 व.मी. को छोड़ने के पश्चात् शेष 743.59 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
10	144.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बासडी जोगियान तहसील फागी के खसरा नं. 943, 944, 945, 948, 949 कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री मनोज कसल पुत्र श्री महेश चन्द कसल व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बासडी जोगियान तहसील फागी के खसरा नं. 943, 944, 945, 948, 949 कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 176.69 व.मी. तथा सैक्टर व्यावसायिक से प्रभावित 2262.59 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 8942.22 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
11	144.11	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2011मि. खसरा नं. 2076, 2077/2623, किता 3 रकबा 4.3040 हैक्टयर एवं ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 661, 660, 694, 695, 696, 699, 700 किता 7 रकबा 8.34 हैक्ट. दोनों ग्रामों की कुल किता 10 रकबा 12.644 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (नवरतन कोठारी पुत्र स्व. श्री घीसी लाल कोठारी व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2011मि. खसरा नं. 2076, 2077/2623, किता 3 रकबा 4.3040 हैक्टयर एवं ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 661, 660, 694, 695, 696, 699, 700 किता 7 रकबा 8.34 हैक्ट. दोनों ग्रामों की कुल किता 10 रकबा 12.644 हैक्टयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व. ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

594

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
12	144.12	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2010, 2011 मि. किता 2 रकबा 0.3560 हैक्टर एवं ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 642, 643, 644, 645, 646/1, 646/3, 647/1, 647/3, 648, 649/1, 649/3, 650 से 657, 659, 663/1, 664 से 666, 667/1, 667/3 कुल किता 28 रकबा 17.109 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने संबंध में। (श्रीमती अनिला कोठारी पत्नि श्री नवरतन कोठारी व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम दहमीकला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 2010, 2011 मि. किता 2 रकबा 0.3560 हैक्टर एवं ग्राम दहमीखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 642, 643, 644, 645, 646/1, 646/3, 647/1, 647/3, 648, 649/1, 649/3, 650 से 657, 659, 663/1, 664 से 666, 667/1, 667/3 कुल किता 28 रकबा 17.109 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
13	144.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित खसरा नं. 937, 938, 939, 940, 947, 948, 963, 964, 965, 966, 967, 897, 945, 932, 935, 936 किता 16 रकबा 4.65 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (गुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (प्रकाश चन्द कोठारी पुत्र श्री घीसी कोठारी व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित खसरा नं. 937, 938, 939, 940, 947, 948, 963, 964, 965, 966, 967, 897, 945, 932, 935, 936 किता 16 रकबा 4.65 हैक्टर में से सड़क सीमा में निहित 4416 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 42084 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (गुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
14	144.14	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित खसरा नं. 1140/1 किता 1 रकबा 0.97 हैक्टर अर्थात् 9700 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (नवरतन कोठारी पुत्र स्व. श्री घीसी लाल कोठारी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित खसरा नं. 1140/1 किता 1 रकबा 0.97 हैक्टर अर्थात् 9700 वर्गमीटर में से सड़क सीमा में निहित 2317 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 7383 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
15	144.15	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित खसरा नं. 883, 903, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 912/2786, 912/2893, 912/2729, 911/2728, 910/2727, 909/2726, 908/2725, 922, 921, किता 18 रकबा 6.33 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से होटल किये जाने के संबंध में। (प्रकाश चन्द कोठारी पुत्र स्व. श्री घीसी लाल कोठारी व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम भांकरोटा कलां तहसील सांगानेर जयपुर में स्थित खसरा नं. 883, 903, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 912/2786, 912/2893, 912/2729, 911/2728, 910/2727, 909/2726, 908/2725, 922, 921, किता 18 रकबा 6.33 हैक्टर में से सड़क सीमा में निहित 10438 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 52862 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से केवल होटल किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
16	144.16	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चौसला तहसील चाकसू के खसरा नं. 188 से 191, 140, 141 व 157, 187, 142, 158/1, 159 से 164, 166 से 170, 89/1, 90/1, 28, 29, 31/1, 53, 55, 407, 408, 409शा., 411, 413, 864, 869, 959, 973, 148 से 156, 158/2 किता 46 रकबा 9.75 हैक्टर तथा ग्राम यारलीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 557/1, 562, 567/1281, 602, 704, 706, 719, 1174, 98/1, 142, 143, 242, 267, 272, 273/1, 275/1275, 98, 100, 101, 106, 388, 389, 390, 391, 391/2, 394, 527, 1173, 1213, 1214, 467, 468, 455, 456, 457, 300 से 306, 481, 482, 391/1, 391/4, 563, 557 किता 48 रकबा 21.80 हैक्टर भूमि अर्थात् दोनों ग्रामों के कुल किता 94 रकबा 31.55 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री अशोक अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम चौसला तहसील चाकसू के खसरा नं. 188 से 191, 140, 141 व 157, 187, 142, 158/1, 159 से 164, 166 से 170, 89/1, 90/1, 28, 29, 31/1, 53, 55, 407, 408, 409शा., 411, 413, 864, 869, 959, 973, 148 से 156, 158/2 किता 46 रकबा 9.75 हैक्टर तथा ग्राम यारलीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 557/1, 562, 567/1281, 602, 704, 706, 719, 1174, 98/1, 142, 143, 242, 267, 272, 273/1, 275/1275, 98, 100, 101, 106, 388, 389, 390, 391, 391/2, 394, 527, 1173, 1213, 1214, 467, 468, 455, 456, 457, 300 से 306, 481, 482, 391/1, 391/4, 563, 557 किता 48 रकबा 21.80 हैक्टर भूमि अर्थात् दोनों ग्रामों के कुल किता 94 रकबा 31.55 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
17	144.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 953, 954, 956, 958/3, 958/5, 959/3 किता 6 रकबा 2.085 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री मुकेश अग्रवाल एवं आलोक शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम कलवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 953, 954, 956, 958/3, 958/5, 959/3 किता 6 रकबा 2.085 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
18	144.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम मोहबतपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 65, 66, 67 व 68 कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्रीमती रूपा घीया पत्नि पंकज घीया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम मोहबतपुरा तहसील फागी के खसरा नं. 65, 66, 67 व 68 कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 1349.06 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 13441.74 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
19	144.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम बासडी जोगियान तहसील फागी के खसरा नं. 797 से 805 किता 9 रकबा 12.19 बीघा का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री रामपाल जैन व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम बासडी जोगियान तहसील फागी के खसरा नं. 797 से 805 किता 9 रकबा 12.19 बीघा में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 3177.76 व.मी. तथा सैक्टर व्यावसायिक से प्रभावित 3122.28 वर्गमीटर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 26447.51 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

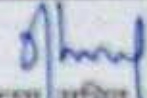
65-5

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
20	144.20	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 773, 778 कुल किता 2 रकबा 1.27 हैक्टेयर में से मौके पर उपलब्ध 12066.26 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री प्रहलाद अग्रवाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 773, 778 कुल किता 2 रकबा 1.27 हैक्टेयर में से मौके पर उपलब्ध 12066.26 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
21	144.21	श्री अब्दुल वहीद, च.श्रे.कर्मचारी द्वारा स्वयं का इलाज प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री अब्दुल वहीद, च.श्रे.कर्मचारी द्वारा स्वयं का इलाज प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
22	144.22	रेल्वे ओवर ब्रिज जगतपुरा एवं 200 फीट महल रोड से प्रभावित लाजपत नगर आवासीय योजना के भूखण्ड/दुकान/कब्जाशुदा भूमि के मुआवजे के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से समिति के ऐसे व्यावसायिक भूखण्डधारी जिनकी भूमि पर मौके पर सड़क बन गई है। उनको समिति द्वारा ही लाजपत नगर योजना में ही अन्यत्र समायोजित करते हुये संशोधित नक्शा मंगवाया जावे तथा तदुपरान्त ही समिति की योजना के अनुमोदन पर विचार किया जावे, का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-9	
23	144.23	श्री रामलाल धानका, अभियांत्रिकी हेल्पर के पुत्र का इलाज प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराये गये इलाज की स्वीकृति एवं इलाज पर व्यय हुई राशि की नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री रामलाल धानका, अभियांत्रिकी हेल्पर के पुत्र का इलाज प्राधिकरण से गैर अनुमोदित निजी अस्पताल में कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
24	144.24	दी शिवा गृह निर्माण सहकारी समिति की गैर अनुमोदित योजना आर्यवीर नगर व दी दयाल भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की गैर अनुमोदित योजना व्यास कालोनी में से होकर गुजर रही मास्टर प्लान 2011 में प्रस्तावित 200 फीट सड़क को 160 फीट किये जाने बाबत। ग्राम चकधुला तहसील सांगानेर में अवस्थित दी शिवा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आर्यवीर नगर एवं ग्राम बिन्दायका तह. सांगानेर में अवस्थित दी दयाल भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना व्यास कालोनी के अवैध कब्जेधारियों को पुर्नवासित करने बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया।	उपायुक्त जोन-10	
25	144.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नं. 1985/899 रकबा 0.21 हैक्ट. एवं ख.नं. 1986/900 रकबा 0.12 हैक्ट. कुल किता 2 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने के संबंध में। (गंगा फेयरडील टाउनशिप डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नं. 1985/899 रकबा 0.21 हैक्ट. एवं ख.नं. 1986/900 रकबा 0.12 हैक्ट. कुल किता 2 रकबा 0.33 हैक्टेयर में से 30 फीट चौड़ी भू-पट्टी में आने वाली 812.00 व.मी. भूमि को छोड़ते शेष 2488 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	

1085

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
26	144.26	Post Facto approval of tender for the work of "Construction of Underpass at Gurjar Ki Thadi Chauraha, Jaipur."	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Engg. (PDC-II) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	Zonal Engg. (PDC-II)	
27	144.27	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महला तहसील मौजमाबाद के ख.नं. 66 से 70, 86, 87, 88, 90 से 96, 100 से 104, 222 से 232, 234, 2358/249, 250, 251, 268, 2359/261, 262, 263, 325, 327 से 332, 336 से 352, 451, 453, 454, 455, 467 से 472, 475, 476, 442, 447, 449, 450, 461, 2339/462, 463, 448, 452, 456, 459, 460 कुल किता 87 रकबा 30.5368 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री कालूराम मीणा व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महला तहसील मौजमाबाद के ख. नं. 66 से 70, 86, 87, 88, 90 से 96, 100 से 104, 222 से 232, 234, 2358/249, 250, 251, 268, 2359/261, 262, 263, 325, 327 से 332, 336 से 352, 451, 453, 454, 455, 467 से 472, 475, 476, 442, 447, 449, 450, 461, 2339/462, 463, 448, 452, 456, 459, 460 कुल किता 87 रकबा 30.5368 हैक्टर में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 3002.52 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं प्लॉटेशन कोरीडोर में आ रही 4552.09 व.मी. भूमि छोड़ते हुये शेष 297813.39 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
28	144.28	Relaxation in conditions of tender for "Supply & Fixing of Precast Box type Culvert in JDA region."	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Ex. En. & TA द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	Ex. En. & TA	
29	144.29	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम महल तहसील सांगानेर के खसरा नं. 433 से 446 किता 14 रकबा 2.52 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्रीमती तीजा देवी पत्नि श्री राधेश्याम व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम महल तहसील सांगानेर के खसरा नं. 433 से 446 किता 14 रकबा 2.52 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक का उपान्तरण होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
30	144.30	जविप्रा क्षेत्र में स्थित मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या डी-1, डी-2 क्षेत्रफल 994.62 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या डी-1, डी-2 क्षेत्रफल 994.62 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)	
31	144.31	श्री मोतीलाल शर्मा, भू-मापक (प्रतिनियुक्ति पर) ने दिनांक 07.03.09 को जे.पी.आई. अस्पताल में फैंको पद्धति से करवाये गये आँखों के ऑपरेशन पर हुए व्यय राशि का पुर्नभरण करवाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री मोतीलाल शर्मा, भू-मापक (प्रतिनियुक्ति पर) ने दिनांक 07.03.09 को जे.पी.आई. अस्पताल में फैंको पद्धति से करवाये गये आँखों के ऑपरेशन पर हुए व्यय राशि का पुर्नभरण करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	

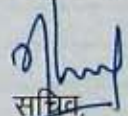
	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
32	144.32	जयपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवंटित भूखण्डों पर देश पुनर्ग्रहण शुल्क लेकर निर्माण की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में निम्न संशोधन किये जावें :- 1. सहकारी समिति/निजी खातेदारी की आवासीय योजनाओं में लीजडीड पट्टा जारी होने की तिथि से भवन निर्माण के लिए निर्धारित अवधि की गणना की जावें। 2. पूर्व में जिस प्रकार के आदेश जविप्रा के से जारी होते रहे हैं। उसी प्रकार से अभी भी पुनर्ग्रहण शुल्क के संबंध में आदेश जारी किये जावें। 3. आदेश में निर्माण अवधि 7 वर्ष का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। 4. आदेश की अवधि 31.03.10 के स्थान पर 31.12.10 की जावे। 5. प्रस्ताव कार्यकारी समिति से स्वीकृत होकर अध्यक्ष, महोदय जविप्रा से अनुमोदित करवाया जाए व प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए।	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	


 सदस्य सचिव
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

15

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 144वीं बैठक दिनांक 30.10.09 को दोपहर 12.30 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मथन' में श्री सुधांशु पंत, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री सुधांशु पंत	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती गायत्री ए राठीड	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री पुरुषोत्तम बियाणी	उप शासन सचिव	सचिवालय	सदस्य के प्रतिनिधि
4	श्री भास्कर शर्मा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एम.पी. स्वामी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री ओ.पी. दोराया	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री डी.आर. चौहान	Add. CE PWD	पी.डब्ल्यू.डी	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री एस.के. गुप्ता	अधीषण अभियन्ता	जेवीवीएनएल	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री विजय गांधी	Zonal Manager	आरएसआरटीसी	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10	श्रीमती सुचि शर्मा	अति. आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री एन.सी. माथुर	अति. मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री जाकिर हुसैन	अति. निदेशक (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री मोहन टावरी	एस.टी.पी. (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री ललित कुमार शर्मा	जोनल अभियन्ता (पीडीसी-द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री हनुमान मल ढाका	उपायुक्त जोन-3	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री बी.एल. गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री पुरुषोत्तम शर्मा	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री संजय जैन	उपायुक्त जोन-14	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


 सचिव,
 जयपुरा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन-12/2009/डी- 4662
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक: 4-11-09

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्टर, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण